Legitimacy (औचित्यपूर्णता)

औचित्यपूर्णता या वैधानिकता (Legitimacy) शब्द का शाब्दिक अर्थ है- विधान के अनुरूप। अर्थात अतः जो कार्य किसी राज्य का कानून पालन करने की आज्ञा देता है, उसे वैधानिक कहा जाता है। इस प्रकार वैधानिकता या औचित्यपूर्णता विधान के अनुरूप कार्य करने को कहते हैं। मार्टिन डाहल के अनुसार "यदि वे लोग, जिनको आज्ञाएं दी जाती है, विश्वास करते है कि सरकार की संरचनाएं, कार्यविधियाँ, कार्य, निर्णय, नीतियाँ, सरकारी पदाधिकारी आदि में औचित्य का गुण है या नैतिक कल्याण निहित है या उचित है तो वह सरकार औचित्यपूर्ण कही जा सकती है और उसे कानून बनाने का अधिकार है।" एस० एम० लिपसेट के अनुसार "वैधता से आशय [illegible] राजनीतिक प्रणाली की उस योग्यता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान संस्थाएं समाज हेतु उपयुक्त है।"

स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता अथवा वैधता वह तत्व है जो संविधान, विधान तथा प्रथा या प्रचलन के आधार पर मान्यता प्राप्त हो।

औचित्यपूर्णता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना राजनीति विज्ञान का इतिहास है। प्लेटो की 'न्यायभावना' से लेकर अरस्तू के कानून का शासन तथा जॉन लॉक की सहमति व समझौते के आधार पर इस अवधारणा का समर्थन किया है। आधुनिक युग में मैक्स वेबर ने इस अवधारणा का समर्थन किया है।

अब प्रश्न उठता है कि कोई भी सत्ता वैध अथवा न्यायपूर्ण कैसे बनती है? निम्न परिस्थितियों में कोई सत्ता वैध बन जाती है;

1. जब सत्ता का प्रयोग संविधान या कानूनों के अनुसार किया जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की शक्तियों और अधिकार संविधान या कानून द्वारा निश्चित होते हैं। इसके अनुसार प्रयोग की गई सत्ता स्वाभाविक विधिमान्य या औचित्य

होती है। किन्तु जब अधिकारी उन नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं या सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो उनकी सत्ता औचित्यपूर्ण नहीं रहती। उदाहरणस्वरूप, यदि संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य विधानमंडल उस विषय पर कानून बनाता है, जिस पर कानून बनाना उसका अधिकार नहीं है तो यह सत्ता का दुरुपयोग है और वह कानून अन्यथा कार्य औचित्यपूर्ण नहीं माना जायेगा।

2. जब सत्ता का प्रयोग समाज के मान्य रीतिरिवाजों तथा प्रथाओं के अनुसार किया जाता है तो सत्ता वैधिक कहलाती है। रीति-रिवाज और प्रथाएँ कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जहाँ कानून नहीं होता, वहाँ न्यायधीश भी रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार मुकदमों का निर्णय करते हैं।

3. जब सत्ता का प्रयोग किसी ऐसे लोकप्रिय नेता द्वारा किया जाये जो असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी हो और जनता का उस पर पूर्ण विश्वास हो, ऐसा नेता जो भी करता है, जनता उसे कानून और संविधान के अन्तर्गत मानती है तथा उसका पालन करती है। ऐसे नेता द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उचित माना जाता है।

स्पष्ट है कि सत्ता का मुख्य आधार जनता की इच्छा या जनता की सहमति है। जनता के विरुद्ध कोई कानून बिना उसकी सहमति के अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनता ने जब भी किसी कानून या संविधान का विरोध किया है तो उस कानून अथवा संविधान को ही बदल दिया गया है। कोई भी सरकार उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक जनता का समर्थन उसको प्राप्त होता रहता है।

मैकरत वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता निम्न रूपों से प्राप्त होती है—

(1) परम्परागत - परम्परा द्वारा औचित्यपूर्णता प्राप्त करना सर्वाधिक प्राचीन है। आधुनिक काल में भी परम्परा, प्रथा, प्रचलन आदि के आधार पर

अनेक क्षेत्रों में औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है।

(iii) अद्भुत व्यक्तित्व - अनेक बार अद्भुत व्यक्तित्व भी औचित्यतापूर्णता को जन्म देता है। विश्व के कई देशों में करिश्माई नेतृत्व ने औचित्यतापूर्णता को जन्म दिया है।

इस प्रकार औचित्यपूर्णता के कई आधार हैं, जो निम्न रूप में हैं:

1. सुरक्षा तथा सार्वजनिक कल्याण - राज्य का मुख्य काम अपने नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति व स्वतंत्रता की सुरक्षा करना तथा नागरिकों का सार्वजनिक कल्याण करना है। ऐसा नहीं करने पर जनता में असंतोष पैदा होगी तथा क्रान्ति की सम्भावना बनी रहेगी।

2. विचारधारा का सम्मान - आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य में प्रत्येक दल का अपनी विचारधारा होती है और चुनाव में जनता उनके विचारधारा से प्रभावित होकर शासन सौंपती है। यदि शासक दल अपनी विचारधारा से अलग होकर कार्य करती है तो जनता में असंतोष पैदा हो सकती है।

3. राष्ट्रवाद - राष्ट्रवाद औचित्यपूर्णता का मुख्य आधार है। यदि सरकार के कार्यों को जनता राष्ट्रहित में अनुभव न करे तो जनता द्वारा उसका विरोध किया जाता है।

जो भी हो औचित्यपूर्णता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। इसी के आधार पर शासन प्रबन्ध अपनी नीतियों व कानूनों को लागू करता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में औचित्यपूर्णता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार बहुमत की अवहेलना नहीं कर सकती परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि भिन्न विचारधारा रखनेवाले लोगों पर बहुमत ऐसा निर्णय थोपे जिसका कोई औचित्यपूर्ण आधार न हो।